

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

गुलाब सिंह

राजस्थान सरकार

दिनांक ..... बनाम .....

करण संख्या २५४ / २०२५ अन्तर्गत धारा ८४, २०१ RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
१२/०८/२५	<p>वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक.....को पेश हो।</p> <p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं. २ उपस्थित नहीं। प्रतिवादी सं. २ को अक-२ कर ३ बार आवाम लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी सं. २ के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस खनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक १४/०८/२५ को पेश हो।</p>	
१८/०८/२५	<p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। समग्र अभाव के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक ०९/०९/२५ को पेश हो।</p>	
१९/०९/२५	<p>वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक ११/११/२५ को पेश हो। <u>Karnar</u></p>	
११/१०/२५	<p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में पुनः बहस खनी जानी आवश्यक है। बहस हेतु समग्र पत्रावली वास्ते बहस दिनांक १५/१०/२५ को पेश हो।</p>	
१५/१०/२५	<p>वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अक-२ कर ३ बार आवाम लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अक्रम पेशवी अक्रम हाजरी में स्वाक्षिप्त किया जाता है। पत्रावली गणित होकर नम्बर से क्रम होकर वापिल रफ्तार हो।</p>	



सहायक कमिश्नर एवं जज  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)